

राजकीय विभागों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/शालाओं अत्यादि के लिए राजस्थान भूराजस्व (संस्थाओं को स्कूलों कोलेजों चिकित्सालओं धर्मशालाओं तथा कब सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्गाणर्य अनाधिवासित राजकीय कृषि का आंवटन।

## नियम 1963

1. प्रार्थी का विभाग का नाम
2. आवंटन का प्रयोजन  
(शाला होने की स्थिति में स्तर अंकित करें)
3. क्या इसी प्रयोजन विशेष के लिए पूर्व में भूमि आवंटन हुआ है। यदि हो तो उसकी विवरण
4. क्या पूर्व में आवंटित भूमि का समुचित उपयोग किया जा चुका है।
5. प्रस्तावित प्रयोजन के लिए वर्तमान में क्या व्यवस्था की हुई है।
6. मानदण्डों से अधिक भूमि चाहे जाने पर अथवा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं होने पर प्रस्तावित क्षैत्रफल का औचित्य
7. आवंटन हेतु चाहीं गई भूमि का विवरण
  
1. तहसील का नाम
2. ग्राम का नाम
3. खसरा नम्बर
4. भूमि की किस्म
5. खसरा नम्बर कुल क्षैत्रफल
6. प्रस्तावित क्षैत्रफल
  
8. क्या प्रस्तावित प्रयोजन के लिए विभाग को प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
9. यदि स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है तो भूमि पर निर्माण किस प्रकार होगा।
10. यदि निर्माण पूर्व में हो चुका है तो अंकित करें।
11. पूर्व में सहमति नहीं प्राप्त करने का कारण